(55)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल

ग्वालियर कैम्प भोपाल

2018/0830

प्रकरण PBR /निग/बैतूल/भू.रा./18/...............

श्रीमती उर्मिला पति योगेश जाति कुन्बी
निवासी – ग्राम गोपाल तलाई,
तहसील मुल्ताई,
जिला बैतूल (म.प्र.) ....*निगरानीकर्ता*

विरुद्ध

मारोती पिता जगन्नाथ जाति कुन्बी,
आयु 50 वर्ष
निवासी – ग्राम भोपाल तलाई
तहसील मुल्ताई,
जिला बैतूल (म.प्र.) ....*गैरनिगरानीकर्ता*

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

अधीनस्थ आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद (म.प्र.) के अपील प्रकरण क. 94/अपील/वर्ष 2017–18 आदेश दिनांक 28/12/2017 से व्यक्ति एवं परिवेदित होकर यह निगरानी ठोस तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय ने समक्ष समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/बेतूल/भूरा/17/830 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका के पास भूमि नहीं होने की स्थिति में पटेली का आवेदन खारिज किया गया है, क्योंकि पटेली नियम का प्रावधान 2(दो) में भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित होने की पात्रता को अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है, इसलिये आयुक्त द्वारा अपील खारिज करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	